



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092024-257439
CG-DL-E-24092024-257439

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3813]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 2024/अश्विन 1, 1946

No. 3813]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 2024/ASVINA 1, 1946

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024

का.आ. 4170(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उपधारा (3) और धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में अंशकालिक सदस्य के रूप में, पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों के लिए या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है:

क्र. स.	अंशकालिक सदस्यों का नाम	जन्म की तारीख	टीआरएआई के अंशकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री नीलकंठ मिश्रा, अध्यक्ष (अंशकालिक)यूआईडीएआई	03.08.1975	16.07.2024 (पूर्वाह्न)
2.	प्रो. रंजन बोस, निदेशक, आईआईआईटी दिल्ली	05.11.1970	25.07.2024 (पूर्वाह्न)

[फा. सं. 10-07/2020-पुनर्गठन]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th September, 2024

S.O. 4170(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 and sub-section (2) of section 5 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby appoints the following persons as Part-time Members of the Telecom Regulatory Authority of India for a period of three years from the date on which they enter upon their office or until they attain the age of sixty-five years or until further orders, whichever is earlier:

Sl. No.	Name of Part-time Members	Date of Birth	Date of Assumption of charge as Part-time Member, TRAI
1.	Shri Neelkanth Mishra, Chairperson (Part-time), UIDAI	03.08.1975	16.07.2024 (forenoon)
2.	Prof. Ranjan Bose, Director, IIIT, Delhi	05.11.1970	25.07.2024 (forenoon)

[F. No. 10-07/2020-Restg.]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.